उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्याः 29 /2024/342/77-6-2024-6099/281/2022

लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 2024

अधिसूचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-41/2022/2596/77-6-2022-1(एम)/2022 दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में निम्नवत संशोधन करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नीति का संगत प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के प्रस्तर-4.3 का उपप्रस्तर-2	इस सब्सिडी योजना के लिये विशेष रूप से की गई अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जाएगी:	इस सब्सिडी योजना के लिये विशेष रूप से नीति की अधिसूचित होने की तिथि अर्थात दिनांक 14.10.2022 से आगामी 05 वर्ष तक अथवा अप्रयुक्त धनराशि(रू. 403.97 करोड) के व्यय होने की अवधि जो भी पहले हो, परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जाएगी:
	1. 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 5,000 रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 100 करोड़ रुपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।	1. 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 5,000 रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 100 करोड़ रुपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।

	2. 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को 12,000 रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत , 36 करोड़ रुपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 30,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।	2. निरसित।
	3. 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को 01 लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत , 250 करोड़ रुपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।	3. 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को 01 लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत , 250 करोड़ रुपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।
	4. ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत , 80 करोड़ रुपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमन्य।	4. ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत , 80 करोड़ रुपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमन्य।
	5. ई-गुड्स कैरियर को 1,00,000 रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम परिव्यय 10 करोड़ रुपये के अधीन अधिकतम 1000 ई-गुड्स कैरियर को अनुमन्य।	5. ई-गुड्स कैरियर को 1,00,000 रुपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम परिव्यय 10 करोड़ रुपये के अधीन अधिकतम 1000 ई-गुड्स कैरियर को अनुमन्य।
	नोट:- • व्यक्तिगत क्रेताओं को उपरोक्त क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर, 3 व्हीलर	नोट:- • व्यक्तिगत क्रेताओं को उपरोक्त क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर, 4 व्हीलर

	एवं 4 व्हीलर या ई-बसों या ई-गुड्स कैरियर के क्रम पर अनुमन्य होगा। • एग्रीग्रेटर्स (Aggregators) फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को उपरोक्त क्रय सब्सिडी अधिकतम दस 2व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के क्रय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगा। • इस योजना के अंतर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगा। अनुमन्य' क्रय सब्सिडी' प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। • यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन का क्रय किया जाता है तो उस पर उपरोक्तानुसार अनुमन्य " क्रय सब्सिडी " का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा।	या ई-बसों या ई-गुड्स कैरियर के क्रम पर अनुमन्य होगा। • एग्रीग्रेटर्स (Aggregators) फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को उपरोक्त क्रय सब्सिडी अधिकतम दस 2व्हीलर या 4 व्हीलर के क्रय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगा। • इस योजना के अंतर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगा। अनुमन्य ' क्रय सब्सिडी' प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। • यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन का क्रय किया जाता है तो उस पर उपरोक्तानुसार अनुमन्य " क्रय सब्सिडी " का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा।

2- अधिसूचना संख्या-41/2022/2596/77-6-2022-1(एम)/2022 दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में उल्लिखित शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेगें।

Signed by
Anil Kumar Sagar
Date: 15-07-2024 15:59:02
(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 29 /2024/342(1)/77-6-2024-6099/281/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
5. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ।
12. समस्त अनुभाग, औद्योगिक विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव।